

Established : 1945

फार्म क्रम संख्या.....

मूल्य : 5/- (पाँच रुपये)

दी रेलवे एम्पलाईज को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जयपुर

शाखा

ऋण आवेदन पत्र



पंजीकरण संख्या .....	आवेदक का नाम.....पद नाम.....
दिनांक .....	ऋण खाता संख्या .....पी एफ खाता सं. ....
ह0 लिपिक .....	शेयर खाता संख्या : .....
ह0 शाखा प्रबन्धक .....	ऋण भुगतान करने की तिथि.....
	ऋण स्वीकृत की राशि.....
	ऋण कटौती अवधि (किश्तों).....

—: मुख्यालय :—

पॉवर हाउस रोड, जयपुर-302 006

फोन नं. : 0141-2204543, फैक्स नं. : 0141-2204543, रेलवे फोन नं. : 44065

मोबाईल : 9460146227 E-mail : recbbank2008@yahoo.in

Website : www.recbjaipur.com

—: शाखाएँ :—

**जयपुर**

पॉवर हाऊस रोड, जयपुर।

फोन नं. : 0141-2202976, रेलवे फोन नं. : 44064

मोबाईल : 9461165719

**अजमेर**

रेलवे बंगला नं. एल-86, हजारी बाग, ब्यावर रोड, अजमेर

फोन नं. : 0145-2610109, रेलवे फोन नं. : 096-46300

मोबाईल : 9460146226

**कोटा**

वर्कशॉप केम्पस, कोटा

फोन नं.: 0744-2465308, रेलवे फोन नं.: 017-45176

मोबाईल : 9462729914

**फुलेरा**

रेलवे ओवर ब्रिज के पास, रेलवे स्टेशन फुलेरा।

फोन नं. : 01425-244069, रेलवे फोन नं. : 46762

मोबाईल : 9460146229

**बांदीकुई**

रेलवे स्टेशन के पीछे, बांदीकुई।

फोन नं. : 01420-229139, रेलवे फोन नं. : 43290

मोबाईल : 9460146230

**सदस्यता हेतु पात्रता एवं संक्षिप्त ऋण नीति**

1. ऐसे रेल कर्मचारी जिन्हें रेलवे विभाग द्वारा नियमित रूप से नियुक्ति प्रदान की गयी है वे स्थायी नियुक्ति के पश्चात् बैंक के सदस्य बन सकते हैं वे अपने वेतन से सीटीडी कटौती करवा सकते हैं किन्तु ऋण लेने हेतु ऋण नीति के अनुसार ही ऋण देय होगा।
2. बैंक की सदस्यता ग्रहण करने वाले सदस्यों को बैंक की सेवाशर्तें एवं नियमों को मानना अनिवार्य है। बैंक द्वारा जारी सदस्यता फार्म को भरकर देने व सदस्यता शुल्क ₹ 10/- जमा करने के साथ ही बैंक का कम से कम एक शोयर ₹ 100/- का लेना अनिवार्य होगा।
3. सदस्यता ग्रहण करने के पश्चात् सदस्य पांच वर्ष की अवधि से पूर्व त्याग पत्र नहीं दे सकेगा। विशेष परिस्थिति में तीन वर्ष की सदस्यता पूर्ण करने वाले सदस्य के त्यागपत्र को शाखा प्रबन्धक कारण सहित ऋण समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तत्पश्चात् उचित पाये जाने पर ही स्वीकृत किया जायेगा। यदि सदस्य अन्य किसी सहकारी क्रेडिट सोसायटी अथवा सहकारी बैंक का सदस्य होना पाया जाता है तो सदस्यता समाप्त की जा सकती है।
4. सी.टी.डी. राशि की कटौती पात्रता निम्नानुसार है :- जिन सदस्यों का वेतनमान (लेवल - 1 से 5 ) 5200-20200 है उनसे सीटीडी कटौती राशि प्रतिमाह ₹ 600/- होगी तथा जिन सदस्यों का वेतनमान (लेवल 6 व अधिक) 9300-34800 या अधिक है, उनसे सीटीडी कटौती राशि ₹ 1000/- प्रतिमाह होगी।
5. सदस्य द्वारा ऋण अथवा अन्य किसी प्रकार की देनदारी बैंक को चुकाने में डिफाल्टर होने की स्थिति में बैंक को उपनियमों एवं संचालक मण्डल द्वारा लिये गये निर्णयानुसार, सीटीडी एवं अन्य जमा राशि से वसूली करने का अधिकार होगा।
6. आवेदन पत्र पर लगाये जाने वाले ऋणी व जमानतियों के फोटो रंगीन पासपोर्ट साइज के तीन वर्ष से पुराने नहीं होने चाहिये तथा कलर फोटो स्टेटे द्वारा चिपकायी गयी फोटो मान्य नहीं होगी एवं आवेदन पत्र के साथ संलग्न ऋणी सदस्य की वेतनपत्रची, जो कि सदस्य द्वारा Self Attested हो, विगत से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहियें। आवेदन पत्र में कांट-छांट (Erasing) मान्य नहीं हैं।
7. सदस्य को साधारण ऋण हेतु दो जमानती प्रस्तुत करने होंगे, ये जमानती बैंक के सदस्य होने के साथ-साथ उनकी सेवा निवृत्ति तिथि सदस्य के ऋण चुकाने की अवधि से 6 माह बाद तक की होनी अनिवार्य है। जमानती बैंक के ऋण व सीटीडी की कटौती में डिफाल्टर नहीं होना चाहिये।
8. ऋण आवेदन पत्र में प्रस्तुत किसी भी जमानती द्वारा पूर्व में दो जमानते दे रखी है तो ऐसा ऋण आवेदन पत्र रद्द कर दिया जायेगा।
9. ऋण की अधिकतम सीमा ₹ 12.00 लाख है।
  - i) वे सदस्य जिनकी सदस्यता 91 दिन अथवा उससे अधिक एवं 1 वर्ष से कम है वे 25 माह का मूल वेतन + डीए अथवा अधिकतम ₹ 4,00,000/- (रुपये चार लाख मात्र) जो भी कम हो, ऋण के रूप में प्राप्त कर सकते हैं।
  - ii) वे सदस्य जिनकी सदस्यता 1 वर्ष या उससे अधिक एवं 3 वर्ष से कम है वे 25 माह का मूल वेतन + डीए अथवा अधिकतम 6,00,000/- (रुपये छः लाख मात्र) जो भी कम हो, ऋण के रूप में प्राप्त कर सकते हैं।
  - iii) वे सदस्य जिनकी सदस्यता 3 वर्ष या उससे अधिक एवं 5 वर्ष से कम है वे 25 माह का मूल वेतन + डीए अथवा अधिकतम 10,00,000/- (रुपये दस लाख मात्र) जो भी कम हो, ऋण के रूप में प्राप्त कर सकते हैं।
  - iv) वे सदस्य जिनकी सदस्यता 5 वर्ष अथवा उससे अधिक है वे 25 माह का मूल वेतन + डीए अथवा अधिकतम 12,00,000/- (रुपये बारह लाख मात्र) जो भी कम हो, ऋण के रूप में प्राप्त कर सकते हैं।
10. "दिनांक 01.01.2017 से भुगतान वाले ऋण पर सदस्यों से किसी भी बैंकर्स के सीटीएस स्टेण्डर्ड मानक के चैक्स स्वीकृत ऋण राशि के अनुसार प्राप्त किये जायेंगे।" तथा एक लाख के गुणांक में अधिकतम पाँच चैक्स लिये जाएंगे। सभी चैकों में राशि नहीं भरी जाये तथा डिफाल्टर होने के समय प्रथम चैक में डिफाल्ट की राशि भरकर वसूली की जायेगी। सदस्य को बैंक द्वारा चैक्स प्राप्ति की पावती देनी होगी। ऋण समाप्ति पर सदस्य से प्राप्त चैक्स यथास्थिति लौटा दिये जायेंगे। सदस्य से स्वीकृत किये गये ऋण के एवज में प्राप्त किये जाने वाले चैकों पर सदस्य के समक्ष ही सदस्य खाता संख्या की सील लगाई जायेगी।
11. कोई भी नियमित रेल कर्मचारी बैंक का सदस्य बन सकता है किन्तु वह ऋण प्राप्त करने एवं जमानत देने हेतु 91 दिन की सदस्यता के पश्चात् ही पात्र होगा। इसमें 3 में से 2 सीटीडी कटौती वेतन से प्राप्त होनी आवश्यक होगी एवं एक कटौती नकद जमा कराई जा सकती है। तथा अन्तिम सीटीडी की कटौती वेतन से आना अनिवार्य है।
12. सदस्य अपना ऋण अधिकतम 100 मासिक किश्तों में जमा करवा सकता है। लेकिन सदस्य ध्यान रखे कि उसके द्वारा ऋण पत्र में जितनी किश्तें लिखी गई है उसके अनुसार ही ऋण स्वीकृत किया जायेगा तथा ऋण का भुगतान बैंक में उनके बचत खाते के माध्यम से किया जायेगा।
13. ऋण राशि स्वीकृत करते समय सदस्य द्वारा प्रस्तुत वेतनपत्रची से Net Take Home Salary में से 25 प्रतिशत राशि को ध्यान में रखते हुए ऋण राशि स्वीकृत की जायेगी एवं सदस्य के ऋण की कटौती नियमित रूप से उसके वेतन से होना अनिवार्य है।
14. ऋण स्वीकृत होने से 30 दिवस की अवधि में लेना अनिवार्य होगा। इस अवधि के पश्चात् ऋण आवेदन पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा। साथ ही सदस्य द्वारा ऋण बढ़ाने, किश्तों में परिवर्तन करवाने हेतु ऋण फार्म रद्द करवाकर पुनः इनवर्ड कराना होगा।
15. जमानत की पात्रता के लिए ऋण आवेदन पत्र जमा होने से पूर्व जमानती के डिफाल्टर होने की स्थिति में विगत 9 माह में ऋण व सीटीडी की 6 किश्तें वेतन से व 3 किश्तें नकद जमा कराने पर, जिसमें अन्तिम किश्त वेतन से अनिवार्य होगी।
16. ऋण का नवीनीकरण :-16.1 (i) यदि पूर्व ऋण खाता नियमित है तो :-
  - a) ऐसे सदस्य जिनका ऋण चल रहा है व तीन किश्तों से कम प्राप्त हुई है तथा वे ऋण का नवीनीकरण करवाना चाहते हैं तो वर्तमान में चल रहे ऋण का नवीनीकरण 30 प्रतिशत अवधि पूर्ण होने पर करवा सकते हैं। अंतिम तीन माह की सीटीडी की कटौती में से 2 कटौती वेतन से एवं एक कटौती नकद जमा करवाई जा सकती है। परन्तु एक अन्तिम सीटीडी कटौती वेतन से प्राप्त होना अनिवार्य होगा। 30 प्रतिशत अवधि पूर्ण हो चुकी है व डिफाल्टर है तो 30 प्रतिशत से पूर्व की राशि पूरी जमा करने पर ऋण स्वीकृत किया जा सकता है।
  - b) ऋण के नवीनीकरण के समय दिनांक 01.12.14 व उसके पश्चात् वितरित किये गये ऋणों पर सदस्य से किसी भी प्रकार के Fore Closure Charges नहीं लियें जायेंगे।

ii) यदि पूर्व ऋण खाता अनियमित है या एनपीए की श्रेणी में हो तो :-

  - a) यदि सदस्य डिफाल्टर है व प्राप्त ऋण की 30 प्रतिशत अवधि पूर्ण हो गई है तो सम्पूर्ण ऋण मय ब्याज के जमा करवा सकता है व डिफाल्टर होने के कारण से सन्तुष्ट होने पर पूर्व स्वीकृत ऋण का अधिकतम दुगुना अथवा ऋण नीति के पैरा 5.1 की पात्रता से अधिक नहीं होगा।
  - b) सदस्य के ऋण की 30 प्रतिशत अवधि पूर्ण नहीं होने पर व उपरोक्त शर्तें(9.1(ii)(a)) नहीं होने पर पूर्ण ऋण व ब्याज जमा करवाने के 15 दिवस पश्चात् ऋण आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है। परन्तु अंतिम तीन माह की सीटीडी कटौती में से 2 कटौती वेतन से एवं एक कटौती नकद जमा करवाई जा सकती है। परन्तु एक अंतिम सीटीडी कटौती वेतन से प्राप्त होना अनिवार्य होगा।
17. यदि सदस्य द्वारा सीटीडी के Against ऋण प्राप्त कर रखा है। यदि वह चाहे तो कभी भी सामान्य ऋण हेतु आवेदन कर सकता है, उसके ऋण से बकाया राशि का समायोजन नये ऋण की स्वीकृति के समय कर लिया जायेगा। परन्तु अन्य शर्तें यथावत ही रहेगी।
18. ऋण लेते समय बैंक के सदस्यों पर सदस्य ऋण बीमा योजना (MLIF) अनिवार्य रूप से लागू होगी यह योजना उन्हीं सदस्यों पर लागू होगी जो ऋण आवेदन के समय किसी भी असाध्य रोग से पिड़ित नहीं होंगे, यदि अन्य स्रोत से पता चलता है कि सदस्य किसी भी असाध्य रोग से पिड़ित है तो वह योजना के हकदार नहीं होंगे।
19. सदस्य की मृत्यु हो जाने पर बैंक की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उसके नामित व्यक्ति को दिया जायेगा।
20. सदस्यों को सूचित किया जाता है कि यदि उनके द्वारा सदस्यता फार्म में नोमिनी का उल्लेख नहीं किया गया है अथवा नोमिनि बदलना चाहते हैं तो राशि ₹ 10/- रु. बैंक में नकद जमा कराकर वह नोमिनी करा सकते हैं अथवा बदल सकते हैं।

नोट :- उपरोक्त सभी नियम एवं शर्तें समय-समय पर संचालक मंडल द्वारा लिये गये निर्णयानुसार परिवर्तनीय है। अतः नवीनतम एवं विस्तृत ऋण नीति की जानकारी हेतु शाखा कार्यालय में सम्पर्क करें।

# दी रेलवे एम्पलाईज को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जयपुर प्रधान कार्यालय : पावर हाऊस रोड, जयपुर ।

मूल्य : 5/- (पाँच रुपये)

शाखा की मोहर.....  
ऋण के लिये आवेदन पत्र

ऋणी सदस्य  
फोटो अपने  
अधिकारी (जिनके  
अधीन वे कार्यरत  
है) से सत्यापित  
करायें ।

ऋण पत्र पंजीकरण संख्या .....	शेयर खाता संख्या .....
दिनांक .....	ऋण खाता संख्या .....
ह0 लिपिक .....	सदस्यता ग्रहण करने की तिथि .....
ह0 शाखा प्रबन्धक .....	आवेदक की बिल यूनिट संख्या .....

- आवेदक का नाम .....
- पिता / पति का नाम .....
- आवेदक का पदनाम.....
- भविष्य निधि खाता संख्या .....
- मूल वेतन ₹.....
- ग्रेड- पे/लेवल .....
- वेतनमान ₹ .....
- सलग्न वेतनपर्ची माह..
- स्टेशन .....
- विभाग.....
- विभागीय पता .....
- ऋण आवेदन की राशि (अंकों में) ..... (शब्दों में) रूपये .....
- ऋण चुकाने की अवधि माह में (अंकों में) ..... (शब्दों में) .....
- ऋण की आवश्यकता का कारण .....
- टेलीफोन नं. - विभाग का ..... स्वयं का मो. न./बी.एस.एन.एल. ....
- आवेदक के घर का स्थाई पता .....

मैं (आवेदक) एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं किसी अन्य क्रेडिट सोसाइटी / बैंक का व इस बैंक की किसी भी अन्य दूसरी शाखा का सदस्य नहीं हूँ और भविष्य में भी किसी अन्य क्रेडिट सोसाइटी / बैंक का सदस्य नहीं बनूंगा। मेरे द्वारा बैंक से सम्बन्धित समस्त नियम व उपनियमों की जानकारी प्राप्त कर ली गयी है जिन्हे मैं स्वीकार करता हूँ एवं इन्हें मानने को बाध्य रहूँगा। बैंक का जो भी ऋण और ब्याज मेरी तरफ बकाया है या मेरा ऋण स्वीकृत करने में बैंक को शेयरों में बढ़ोतरी करने की आवश्यकता हो, तो यह दोनों राशियाँ मेरा ऋण स्वीकृत करते समय उनमें से काट ली जावें। इन कटौतियों के लिए मैं, अपनी सहमति देता हूँ। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं किसी भी प्रकार की असाध्य बीमारी से पीड़ित नहीं हूँ तथा मेरे द्वारा पूर्व में सदस्यता से त्याग पत्र नहीं दिया गया है या दिनांक ..... को सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया गया था या बैंक में नई सदस्यता दिनांक ..... को ग्रहण की गयी है। मैं, दो निम्नांकित प्रतिभू प्रस्तुत करता हूँ जो मेरे ऋण के लिये प्रतिभू के रूप में अथवा गारण्टी देने को सम्मिलित एवं अलग-अलग रूप से सहमत है :-

- प्रथम प्रतिभू श्री ..... पद ..... शेयर खाता सं. .... मोबाइल नं. ....
- द्वितीय प्रतिभू श्री ..... पद ..... शेयर खाता सं. .... मोबाइल नं. ....

मैं अपने स्वीकृत ऋण का भुगतान बचत खाते के माध्यम से प्राप्त करना चाहता हूँ।

मैं सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी सत्य है।

बचत खाता संख्या 

0	0	0	0	2	0				
---	---	---	---	---	---	--	--	--	--

 आवेदक के हस्ताक्षर.....

उपरोक्त आवेदक मेरे अधीन कार्य कर रहा है। मैं इस आवेदक के हस्ताक्षर (दायें अथवा बायें हाथ के अंगूठे की निशानी / एवं फोटो) की सत्यता को प्रमाणित करता हूँ। विभागीय जानकारी के अनुसार कर्मचारी किसी असाध्य बीमारी से पीड़ित नहीं है।

\* सम्बन्धित विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर .....

\* सत्यापन करने वाले अधिकारी का नाम .....

\* पदनाम .....

\* विभाग की मोहर .....

\* फोन नं (रेलवे) ..... बी.एस.एन.एल./मोबाइल नं. :.....

नोट :-

(i) सदस्य के ऋण का भुगतान एवं लाभांश का भुगतान अनिवार्य रूप से बैंक के बचत खाते के माध्यम से ही किया जायेगा।

(ii) आवेदन पत्र अधूरा होने एवं कांट-छांट होने पर रद्द कर दिया जायेगा।

## आवेदक एवं प्रतिभूतियों का सेवा विवरण

क्र. स.	सेवा विवरण	आवेदक के सेवा विवरण	प्रथम प्रतिभू के सेवा विवरण	द्वितीय प्रतिभू के सेवा विवरण
1.	नाम			
2.	पिता/पति का नाम			
3.	पदनाम			
4.	टिकट नं.			
5.	विभाग व स्टेशन			
6.	मूल वेतन (अंको में) रु.			
	ग्रेड पे (अंको में) रु./लेवल			
7.	महंगाई वेतन/भत्ता			
8.	प्रथम नियुक्ति तिथि			
9.	टी.एस. की तिथि			
10.	नियमित होने की तिथि			
11.	जन्म तिथि			
12.	भविष्य निधि खाता संख्या			
13.	सदस्य कस्टमर आई.डी. संख्या			
14.	बिल यूनिट संख्या			
15.	हस्ताक्षर			
16.	<p><b>सत्यापन का प्रमाण पत्र (बैंक उपयोग हेतु) :</b> हमारे द्वारा बैंक रिकार्ड से आवेदक के पूर्व में दिये गये सदस्यता त्यागपत्र की तिथि / नई सदस्यता ग्रहण करने की तिथि व सेवा विवरणों का सत्यापन कर लिया गया है एवं नियमानुसार सही होने पर ऋण स्वीकृति योग्य हैं। अतः ऋण स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।</p>		हस्ताक्षर / अंगूठे की निशानी व फोटो प्रमाणित	हस्ताक्षर / अंगूठे की निशानी व फोटो प्रमाणित
17.	<p>आवेदक की खाता सं..... ह. लिपिक ह. अधिकारी</p> <p>प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक एवं दोनों जमानतियों के उपरोक्त सेवा विवरण सही हैं तथा आवेदक अन्य किसी क्रेडिट सोसायटी अथवा सहकारी बैंक का सदस्य नहीं है।</p>		<p>प्रथम प्रतिभू अपना फोटो चस्पा करें जो कि विभागीय अधिकारी (जिसके अधीन वे कार्यरत है) द्वारा सत्यापित हो।</p>	<p>द्वितीय प्रतिभू अपना फोटो चस्पा करें जो कि विभागीय अधिकारी (जिसके अधीन वे कार्यरत है) द्वारा सत्यापित हो।</p>
<b>वेतन विभाग से सत्यापन</b>				
18.	<p>(क) वेतन विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर.....</p> <p>(ख) अधिकारी का नाम</p> <p>(ग) वेतन विभाग की मोहर</p> <p>(घ) दिनांक</p> <p>(ड) फोन नं.</p>	1-	2-	3-
19.	<p><b>कार्यालय उपयोग हेतु :</b> (एक जमानत अमान्य होने की स्थिति में)</p> <p>* प्रथम / द्वितीय जमानत अमान्य होने का कारण ..... रहा है।</p> <p>* प्रथम / द्वितीय जमानत जो कि अमान्य थी अब ..... मान्य हो गयी है।</p> <p>ह. लिपिक ह. अधिकारी</p>		<p align="center"><b>प्रतिभू I</b></p> <p>कस्टमर आई.डी./शेयर खाता संख्या .....</p> <p>ह0 लिपिक .....</p> <p>ह0 अधिकारी .....</p>	<p align="center"><b>प्रतिभू II</b></p> <p>कस्टमर आई. डी./शेयर खाता संख्या .....</p> <p>ह0 लिपिक .....</p> <p>ह0 अधिकारी .....</p>

नोट : कर्ज की राशि की रकम आवेदक द्वारा कर्ज की मंजूरी के बाद ऋण प्राप्ति की तिथि को भरी जावेगी ।

## दी रेलवे एम्पलाईज को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जयपुर ऋण अनुबन्ध पत्र (Agreement of Loan)

मैं (आवेदक का नाम) ..... पुत्र / पत्नि श्री .....  
घर का पता (i) वर्तमान ..... (ii) स्थाई पता .....  
..... मो.न.....  
जिसने उक्त बैंक से (अंकों में) रुपये ..... (शब्दों में) .....

.....का ऋण प्राप्त किया है। यह ऋण ..... प्रतिशत (कटवा मिति) वार्षिक दर अथवा जो दर बैंक समय-समय पर निर्धारित करे, जो कि मासिक किश्तों में देय हैं। बैंक यह ऋण ब्याज सहित तथा कटवामिति मूलधन दोनों मिलाकर मेरे मासिक वेतन में से सीधे ही मेरे वेतन कटौती विभाग के माध्यम से प्राप्त करने को अधिकृत होगी। मेरे ऋण प्राप्ति के प्रतिफलस्वरूप बैंक को यह अधिकार अखण्ड (Irrevocable) होगा, जिसके लिये मैं बैंक की सदस्यता से अथवा रेलवे सेवा से त्याग पत्र नहीं देने का भी वचनबद्ध हूँ, जब तक कि मेरे द्वारा बैंक से लिया गया ऋण एवं ब्याज पूर्ण रूप से चुकता नहीं कर दिया जाता है। अथवा मेरे द्वारा दी गई जमानतदारों की ऋण और ब्याज की पूर्ण कटौती नहीं होती हैं।

- यदि मैं ऋण की किश्तों अथवा बकाया ब्याज का भुगतान समय पर करने में असमर्थ हूँ तो तुरन्त ही समस्त ऋण ब्याज सहित देय हो जावेगा।
- मैं वचन देता हूँ कि ऋण जिस कार्य के लिये लिया गया है उसी कार्य हेतु प्रयुक्त किया जायेगा तथा वचन भंग होने की दशा में बैंक को समस्त ऋण ब्याज सहित तुरन्त वसूल करने का अधिकार होगा। यदि बैंक चाहे तो मैं ऋण राशि के उचित उपयोग का प्रमाण भी जिस रूप में मांगा जावे प्रस्तुत करने को तत्पर रहूँगा।
- मैं निर्धारित/वर्णित शर्तों/वचनों के पालन हेतु वचनबद्ध हूँ और किसी भी शर्त/वचन भंग होने की दशा में जिसके अन्तर्गत मुझे ऋण स्वीकृत किया गया है अथवा मेरे बैंक के सदस्य न रहने की दशा में जो मृत्युजन्य या अथवा हो सकती है यदि ऋण ब्याज सहित पूर्ण रूप से चुकता नहीं कर दिया गया तो बैंक को यह अधिकार होगा कि वह बैंक में मेरी सभी प्रकार की जमा राशियों (प्रतिभूतियों इत्यादि सहित जो उपरोक्त ऋण पूर्व बकाया ब्याज हेतु प्रस्तुत की गई है) की ऋण पूर्ति हेतु (ब्याज सहित उपयोग में ले सकेगी तथा अन्य और कोई रकम जो बैंक उचित समझे, ऋण वसूली एवं बकाया ब्याज हेतु उपयोग कर सकने को सक्षम होगी। मेरी सेवानिवृत्ति/मृत्यु अथवा अन्य कारणवश सेवा से अलग होने की दशा में बैंक सीधे ही मेरे वेतन कटौती अधिकारी से ऋण राशि का बकाया (ब्याज सहित) मुझे प्रदत्त होने वाली अन्य राशियों जैसे ग्रेच्युटी, लीवएनकेशमेन्ट, कम्प्यूटेशन ऑफ पेन्शन व अन्य देय राशि से प्राप्त करने को अधिकृत होगी जो कि रेलवे प्रशासन मुझे दी जाने वाली राशि में से देने की व्यवस्था करेगा।
- रेलवे विभाग द्वारा किसी कारण किश्तों के न काटे जाने पर मैं एतद्वारा वचन देता हूँ कि बकाया राशि मय ब्याज के नगद में जमा करा दूंगा। बैंक को मेरी भुगतान क्षमता के आधार पर किश्तों की संख्या कम करने अथवा बढ़ोत्तरी करने का अधिकार होगा और किश्तें जमा न कराने पर बढ़े हुए ब्याज एवं पैनल ब्याज के लिए किसी प्रकार के दावे का हकदार नहीं होऊँगा।
- किसी भी स्थिति में ऋण की वसूली नहीं होने के कारण डिफाल्टर होने पर मुझसे राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम,2001 के तहत ऋण की वसूली, वॉरंट, कुर्की एवं सम्पत्ति की बिक्री करने हेतु बैंक को अधिकृत करता/करती हूँ।

- |                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. साक्षी के हस्ताक्षर .....        | 1. आवेदक के हस्ताक्षर .....         |
| 2. साक्षी का नाम.....               | 2. आवेदक का नाम.....                |
| 3. पिता/पति का नाम.....             | 3. पिता/पति का नाम.....             |
| 4. पदनाम..... पी. एफ. सं.....       | 4. पदनाम..... पी. एफ. सं.....       |
| 5. विभाग/टिकट नं./स्टेशन.....       | 5. विभाग/टिकट नं./स्टेशन.....       |
| 6. विभागीय पता .....                | 6. विभागीय पता .....                |
| 7. फोन नं. (कार्यालय).....(घर)..... | 7. फोन नं. (कार्यालय).....(घर)..... |
| 8. बैंक सदस्यता खाता संख्या .....   | 8. बैंक सदस्यता खाता संख्या .....   |
| 9. स्थायी निवास का पता.....         | 9. स्थायी निवास का पता.....         |
| .....                               | .....                               |
| 10.दिनांक .....(मो.न.).....         | 10. दिनांक .....(मो.न.).....        |

नोट :- आवेदक के हस्ताक्षरों को साक्षी करने वाला बैंक का सदस्य हो व तब तक अपने हस्ताक्षर न करें, जब तक कि जिनकी साक्षी दे रहे हैं, उनके सामने हस्ताक्षर न किये गये हो। व स्वयं का शेयर खाता सं. अवश्य लिखे।

नोट : कर्ज की राशि की रकम आवेदक द्वारा कर्ज की मंजूरी के बाद ऋण प्राप्ति की तिथि को भरी जावेगी।

## दी रेलवे एम्पलाईज को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जयपुर

### गारन्टी फार्म (Guarantee Form)

हम अधोहस्ताक्षरकर्ता दोनों प्रतिभू गण ऋण राशि (अंकों में) रूपयें ..... (शब्दों में) रूपये .....  
 ..... जो (आवेदक का नाम) श्री ..... को दिनांक .....  
 ..... को भुगतान की गई है उपरोक्त ऋण के भुगतान (Re-payment) की सम्मिलित (Jointly) एवं अलग-अलग (Severally) रूप से (परिस्थितिनुसार) गारंटी लेते हैं। हम दोनों प्रतिभू बैंक को यह अधिकार देते हैं कि उक्त ऋण एवं बकाया ब्याज जो कि श्री ..... (आवेदक का नाम) को दिया गया है, वह यदि इस ऋण एवं ब्याज की किश्तों के भुगतान करने में 3 माह लगातार किसी कारणवश वेतन द्वारा कटौती न होने अथवा दुरुपयोग करें तो इस ऋण एवं बकाया ब्याज की वसूली दोनों अथवा एक प्रतिभू के वेतन में से कटौती करने हेतु हम दोनों प्रतिभू रेलवे/बैंक को अधिकार देते हैं। बैंक को इसके लिये हम दोनों प्रतिभूओं को किसी प्रकार की पूर्व सूचना देने अथवा वेतन में से कटौती करने का कोई कारण बताना आवश्यक नहीं होगा। हम दोनों प्रतिभूओं द्वारा यह अच्छी तरह समझ लिया गया है कि कटौती के मामले में रेलवे प्रशासन का बैंक से कोई अनुबन्ध नहीं है ऋण की कटौती वेतन से अथवा नकद जमा करवाने हेतु सदस्य का ही दायित्व होगा। यह उधार लेने वाले ऋणी सदस्य के हम दोनों प्रतिभूओं की सम्मिलित अथवा दोनों प्रतिभूओं की अलग-अलग रूप से रेलवे विभाग से नियमित किश्तों में या नगद जमा कराने की पूर्ण जिम्मेदारी है। अगर डिफाल्टर ऋणी सदस्य के ऋण और ब्याज की राशि दोनों प्रतिभूओं अथवा अलग-अलग प्रतिभू के वेतन द्वारा कटौती प्रारंभ कर दी जावेगी, अथवा बैंक में उनकी किसी प्रकार जमा राशियों में से ऋण और ब्याज की बकाया राशि में समायोजन कार्यवाही कर दी जायेगी तो इसकी पूर्व सूचना देना बैंक के लिए आवश्यक नहीं है।

हम दोनों प्रतिभू श्री ..... (प्रथम प्रतिभू) एवं श्री ..... (द्वितीय प्रतिभू) उक्त वर्णित ऋण के ब्याज सहित भुगतान का बैंक के नियमों उपनियमों, राजस्थान सहकारिता अधिनियम एवं अन्य शर्तों के अनुसार अपना दायित्व स्वीकार करते हैं।

#### साक्षी

- हस्ताक्षर .....
- नाम.....
- पिता/पति का नाम.....
- पदनाम..... पी. एफ. स. ....
- विभाग/टिकट नं./स्टेशन.....
- विभागीय पता .....
- फोन नं. (कार्यालय).....(घर).....
- बैंक सदस्यता खाता संख्या .....
- स्थायी निवास का पता.....
- दिनांक .....(मो.न.).....

#### साक्षी

- हस्ताक्षर .....
- नाम.....
- पिता/पति का नाम.....
- पदनाम..... पी. एफ. स. ....
- विभाग/टिकट नं./स्टेशन.....
- विभागीय पता .....
- फोन नं. (कार्यालय).....(घर).....
- बैंक सदस्यता खाता संख्या .....
- स्थायी निवास का पता.....
- दिनांक .....(मो.न.).....

#### प्रथम प्रतिभू

- हस्ताक्षर .....
- नाम.....
- पिता/पति का नाम.....
- पदनाम..... पी. एफ. स. ....
- विभाग/टिकट नं./स्टेशन.....
- विभागीय पता .....
- फोन नं. (कार्यालय).....(घर).....
- बैंक सदस्यता खाता संख्या .....
- स्थायी निवास का पता.....
- दिनांक .....(मो.न.).....

#### द्वितीय प्रतिभू

- हस्ताक्षर .....
- नाम.....
- पिता/पति का नाम.....
- पदनाम..... पी. एफ. स. ....
- विभाग/टिकट नं./स्टेशन.....
- विभागीय पता .....
- फोन नं. (कार्यालय).....(घर).....
- बैंक सदस्यता खाता संख्या .....
- स्थायी निवास का पता.....
- दिनांक .....(मो.न.).....

नोट :- प्रतिभूओं के हस्ताक्षरों को साक्षी करने वाले बैंक के सदस्य हो व तब तक अपने हस्ताक्षर न करें, जब तक कि जिनकी साक्षी दे रहे हैं। उनके सामने हस्ताक्षर न किये गये हों, एवं स्वयं का शेरर खाता सं. अवश्य लिखें।

# दी रेलवे एम्पलाईज को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जयपुर

शाखा .....

## सहमति खण्ड

(ऋणी सदस्य द्वारा निष्पादित किया जाये)

मुझे/हमें ज्ञात है कि मुझे/हमें ऋणों/अग्रिमों/अन्य गैर निधिक ऋण सुविधाओं की मंजूरी की पूर्व शर्त के रूप में मुझसे/हमसे संबंधित जानकारी और आंकड़े, मेरे/हमारे द्वारा ली गई/ली जाने वाली सुविधा, मेरे/हमारे द्वारा उसके संबंध में लिये गये दायित्वो/लिये जाने वाले दायित्वों और उसके निष्पादन में मेरे/हमारे द्वारा की गई किसी चूक के संबंध में दी रेलवे एम्पलाईज को-ऑप. बैंक लिमिटेड जयपुर को उसके द्वारा घोषित करने के लिये मेरी/हमारी सहमति की आवश्यकता है।

2. तदानुसार मैं/हम दी रेलवे एम्पलाईज को-ऑपरेटिव बैंक लि. जयपुर द्वारा निम्नोक्त कतिपय अथवा सभी जानकारी जैसा कि दी रेलवे एम्पलाईज को-ऑपरेटिव बैंक लि. जयपुर को उचित और आवश्यक लगे, प्रकट करने और ऋण सूचना ब्यूरो (भारत) लि. और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किसी अन्य एजेंसी को प्रस्तुत किये जाने के संबंध में सहमत हूँ/हैं और इसके लिए सहमति देता हूँ/हैं :

क. मुझसे/हमसे संबंधित जानकारी और आंकड़ें :

ख. मेरे/हमारे द्वारा ली जाने वाली ऋण सुविधा संबंधी जानकारी अथवा आंकड़े, और

ग. मेरे/हमारे द्वारा ऐसे दायित्व के निर्वाहन में हुई चूक

3. मैं/हम घोषणा करता हूँ करते है कि मेरे/हमारे द्वारा दी रेलवे एम्पलाईज को-ऑपरेटिव बैंक लि. जयपुर को दी गई जानकारी और आंकड़े सत्य और सही है।

4. मैं/हम यह वचन देता हूँ/देते है कि :-

क. ऋण सूचना ब्यूरो (भारत) लि. और इस प्रकार प्राधिकृत अन्य कोई एजेन्सी, बैंक द्वारा प्रकट की गई उक्त जानकारी और आंकड़ों को अपनी आवश्यकतानुसार उपयोग, संसाधन कर सकती है और

ख. ऋण सूचना ब्यूरो (भारत) लि. और इस प्रकार प्राधिकृत अन्य कोई एजेन्सी, संबंधित जानकारी और आंकड़े अथवा उनके आधार पर तैयार किया गया कोई प्रोडक्ट बैंको/वित्तीय संस्थाओं और अन्य ऋणदाताओं अथवा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट पंजीकृत उपयोगकर्ताओं को विचारार्थ प्रस्तुत कर सकती है।

5. तथापि जो कुछ उपर्युक्त अन्तर्विष्ट है, हम सहमत होने की पुष्टि करते है कि ऋण सीमा को निरस्त करने (बिना पूर्व सूचना के पूर्ण या आंशिक रूप में) का पूर्ण अधिकार है:-

अ. हमारे द्वारा ऋण सीमा/सीमा के भाग को प्रयोग में न लाना एवं /या

ब. किसी भी कारण से ऋण खाता खराब होना, एवं/या

स. ऋण स्वीकृति नियमों का पालन न करने पर ऋणी सदस्य के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी.....

स्थान : ..... ऋणी सदस्य का नाम.....

दिनांक: ..... पदनाम.....विभाग व स्टेशन.....

पी.एफ. सं .....शेयर खाता सं. ....

स्थाई पता.....

.....मो.नं.....

—: स्वीकृत ऋण से कटौती पश्चात् देय राशि को बचत खाते में हस्तान्तरित करने की सहमति :-

शाखा प्रबन्धक

.....

मुझे बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण में से कटौती के पश्चात् भुगतान योग्य राशि को.....शाखा में मेरे बचत खाता संख्या.

.....में हस्तान्तरित कर सूचित करने की कृपा करें।

ह. साक्षी .....

ह. ऋणी .....

नाम .....

नाम .....

पदनाम .....

पदनाम .....

विभाग/स्टेशन.....

विभाग/स्टेशन.....

पीएफ नम्बर.....

पीएफ नम्बर.....

शेयर खाता सं. ....

शेयर खाता सं. ....

मो. नं. ....

मो. नं. ....

# दी रेलवे एम्पलाईज को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जयपुर शाखा.....

## सहमति खण्ड

(जमानतीयों द्वारा निष्पादित किया जाये)

मुझे/हमें ज्ञात है.....(उधारकर्ता का नाम) को ऋणों/अग्रिमों/अन्य गैर निधिक ऋण सुविधाओं की मंजूरी और उसके संबंध में गारन्टी देने की पूर्व शर्त के रूप में गारन्टीदाता(ओ) से संबंधित जानकारी और आंकड़े गारन्टीदाता(ओ) द्वारा ली गई सुविधा, गारन्टीदाता(ओ) द्वारा उसके संबंध में लिये गये दायित्वों और उसके निष्पादन में गारन्टीदाता(ओ) द्वारा की गई किसी चूक के संबंध में दी रेलवे एम्पलाईज को-ऑप. बैंक लिमिटेड जयपुर को उसके द्वारा घोषित करने के लिये ऋण सुविधा के गारन्टीदाता(ओ) की सहमति की आवश्यकता है।

2. तदानुसार मैं/हम दी रेलवे एम्पलाईज को-ऑपरेटिव बैंक लि. जयपुर द्वारा निम्नोक्त कतिपय अथवा सभी जानकारी जैसा कि दी रेलवे एम्पलाईज को-ऑपरेटिव बैंक लि. जयपुर को उचित और आवश्यक लगे, प्रकट करने और उसे ऋण सूचना ब्यूरो (भारत) लि. और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किसी अन्य एजेंसी को प्रस्तुत किये जाने के संबंध में सहमत हूँ/हैं और इसके लिये सहमति देता हूँ/हैं :

क . मुझसे/हमसे संबंधित जानकारी और आंकड़ें :

ख . मेरे/हमारे द्वारा ली जाने वाली ऋण सुविधा संबंधी जानकारी अथवा आंकड़े, और

ग . मेरे/हमारे द्वारा ऐसे दायित्व के निर्वाहन में हुई चूक

3. मैं/हम घोषणा करता हूँ करते है कि मेरे/हमारे द्वारा दी रेलवे एम्पलाईज को-ऑपरेटिव बैंक लि. जयपुर को दी गई जानकारी और आंकड़े सत्य और सही है।

4. मैं/हम यह वचन देता हूँ/देते है कि :-

क. ऋण सूचना ब्यूरो (भारत) लि. और इस प्रकार प्राधिकृत अन्य कोई एजेन्सी, बैंक द्वारा प्रकट की गई उक्त जानकारी और आंकड़ों को अपनी आवश्यकतानुसार उपयोग, संसाधन कर सकती है और

ख. ऋण सूचना ब्यूरो (भारत) लि. और इस प्रकार प्राधिकृत अन्य कोई एजेन्सी, संबंधित जानकारी और आंकड़े अथवा उनके आधार पर तैयार किया गया कोई प्रोडक्ट बैंको/वित्तीय संस्थाओं और अन्य ऋणदाताओं अथवा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट पंजीकृत उपयोगकर्ताओं को विचारार्थ प्रस्तुत कर सकती है।

5. तथापि जो कुछ उपर्युक्त अन्तर्विष्ट है, हम सहमत होने की पुष्टि करते है कि ऋण सीमा को निरस्त करने (बिना पूर्व सूचना के पूर्ण या आंशिक रूप में) का पूर्ण अधिकार है:-

अ. हमारे द्वारा ऋण सीमा/सीमा के भाग को प्रयोग में न लाना एवं /या

ब. किसी भी कारण से ऋण खाता खराब होना, एवं/या

स. ऋण स्वीकृति नियमों का पालन न करने पर

स्थान : .....

दिनांक: .....

हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी.....

प्रथम प्रतिभू का नाम.....

पदनाम.....विभाग व स्टेशन.....

पी.एफ. सं .....शेयर खाता सं. ....

स्थायी पता.....

.....मो.नं.....

हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी.....

द्वितीय प्रतिभू का नाम.....

पदनाम.....विभाग व स्टेशन.....

पी.एफ. सं .....शेयर खाता सं. ....

स्थायी पता.....

.....मो.नं.....



## दी रेलवे एम्पलाईज को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जयपुर

दिनांक ..... को लिये गये कर्ज की राशि  
रुपये .....के सम्बन्ध में

### घोषणा – पत्र

मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे विरुद्ध कोई कुर्की नहीं है और न कर्ज के दौरान किसी कुर्की की आशा है, फिर भी यदि इस दौरान किसी समय कोर्ट से मेरे वेतन की कुर्की के आदेश प्राप्त होते हैं तो एतद् द्वारा मैं वेतन कटौती अधिकारी ..... रेलवे को प्राधिकृत करता हूँ कि वह मेरे अकुर्क वेतन / अन्य परिलाभों में से रकम का विचार किये बिना कर्ज की शेष किश्तों की कटौती कर लें।

चूंकि यह कर्ज बैंक की शर्तों के अनुसार दिया गया है। अतः मेरे द्वारा इसका भुगतान समय पर न करने की स्थिति में बैंक को बकाया रकम की वसूली हेतु मेरे विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकार होगा। साथ ही मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि ऋण जिस कार्य के लिये लिया गया है उसी कार्य हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

साक्षी के हस्ताक्षर ..... ऋणी के हस्ताक्षर .....  
दिनांक ..... दिनांक .....

नोट : 1) ऋण के भुगतान के समय ऋणी द्वारा घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किये जायेंगे।

## दी रेलवे एम्पलाईज को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जयपुर

शाखा.....

श्रीमान्.....

.....

.....

महोदय,

आपको आज दिनांक.....को हमारी बैंक की.....शाखा द्वारा स्वीकृत ऋण राशि .....  
.....ऋण खाता सं.....के भुगतान के एवज में आपसे निम्न चैक प्राप्त किये हैं। इन चैक्स का उपयोग ऋण भुगतान में वसूली नहीं होने पर की जायेगी तथा यदि चैक Dishonour होकर वापस आता है तो धारा-138 N.I. Act के तहत कार्यवाही की जायेगी।

1. चैक सं. – .....
2. चैक सं. – .....
3. चैक सं. – .....
4. चैक सं. – .....
5. चैक सं. – .....

कुल.....चैक्स

ह. शाखा प्रबन्धक  
शाखा.....

# दी रेलवे एम्पलाईज को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जयपुर

स्वीकृत ऋण राशि के विरुद्ध जमा किये गये चैक का विवरण

श्रीमान् शाखा प्रबन्धक

दी रेलवे एम्प. को-ऑप. बैंक लि. जयपुर

शाखा.....

विषय : मेरे ऋण भुगतान के विरुद्ध बैंक को सुपुर्द किये जाने वाले चैको के संबंध में।

महोदय,

उक्त विषय में लेख है कि मेरे द्वारा आज दिनांक.....को आपकी शाखा से स्वीकृत ऋण राशि ₹ .....

का भुगतान प्राप्त किये जाने की एवज में बैंक को दिये गये चैक्स का विवरण निम्न प्रकार है:-

1. चैक सं. - ..... 2. चैक सं. - ..... 3. चैक सं. - .....  
4. चैक सं. - ..... 5. चैक सं. - .....

कुल.....चैक्स

भवदीय

अतः कुल.....चैक्स की पावती देने की कृपा करें।

हस्ताक्षर.....  
नाम.....  
पदनाम.....  
विभाग.....  
ऋण खाता सं.....  
मो.नं.....  
शाखा.....